न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 111/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
किशनलाल उर्फ किशोर पुत्र गोपीलाल जाति लोहार निवासी बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली	1	राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली
	2	हिम्मतमल पुत्र भीमराज
	3	बदामी पत्नी भीमराज
	4	समाराम पुत्र प्ताराम जातिगण लोहार निवासीगण बांकली तहसील सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/2/19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2014 किशनलाल उर्फ किशोर बनाम राजस्थान सरकार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बांकली के गत खसरा नम्बर 653 रकबा 31 बीघा किस्म चाही तृतीय की भूमि में भगा पुत्र लुम्बा का 1/2 हिस्सा तथा छोगा, लक्ष्मण पि0 कपूरा का 1/2 हिस्सा निहित था। गत खसरा नम्बर 653 के हाल खसरा नम्बर 1072 से 1076 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर बने है। हेक्टेयर के आधार पर बीघे की गणना करने पर 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि होती है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान नये रेकर्ड से पुराना रेकर्ड तहरीर करते समय भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की त्रुटी से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि नए राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज करते हुए उक्त 0.24 हैक्टेयर भूमि को गै0मु0 आबादी के रूप में इन्द्राज कर दिया। गत खसरा नम्बर 653 के उत्तर व पूर्व दिशा में सुमेरपुर से तखतगढ जाने वाली सड़क स्थित है तथा पूर्वी दिशा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तरफ स्कूल स्थित है। स्कूल, जिसके खसरा नम्बर 655 है, के पडौस से लगते हुए बडे बडे बाडे खातेदारान द्वारा अपनी कृषि सामग्री के रख रखाव हेतु बनाए गए है, जिन्हे वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी एवं सी से दर्शित किया गया है, जिसमें से मार्क सी अपीलाण्ट के हक हिस्से में निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा मार्क सी की भूमि में अपना हक जताने की कोशिश की एवं ग्राम पंचायत से फर्जी एवं कूटरचित स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त भूमि पर अपना कब्जा नहीं होते हुए भी फर्जी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को बेचान कर दिया। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटी की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड में संशोधन सहित खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अपीलाण्ट के जवाब हेतु नियत था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बिना कोई सहमति के जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि जिस पूर्व निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, वह वाद अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 1076 रकबा 1.86 हैक्टेयर के सम्बन्ध में स्थाई व्यादेश हेतु ही पेश किया था, जबकि इस वाद की विवाद वस्तु ही भिन्न थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गलत व्याख्या करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था, वह राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का था, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कवर होता है, जिसमें पारित निर्णय की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष ही पोषणीय है, इस आधार पर अपील खारिज़ योग्य हैं। जहां तक वाद का विषय है, अपीलाण्ट का वाद भू–प्रबन्ध द्वारा रकबे में कमी करने का है। इस सम्बन्ध में पूर्व में वाद संख्या 187/2011 दर्ज होकर दिनांक 03.06.2014 को निर्णित हो चुका था। इस कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा इस विवाद को लेकर पूर्व में निर्णय पारित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा एक वर्ष तक जवाब प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का अवसर बन्द किया किया तथा इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसके वे आधार ही थे, जिनका जिक्र अपीलाण्ट द्वारा अपील में किया गया है। मुख्य रूप से विवाद उक्त कमरे एवं बाउण्ड्री वॉल की भूमि का है, जिन्हे अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क सी के रूप में दर्शित किया गया है। इसी भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया गया था, जिस पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1076 में न पाई जाकर खसरा नम्बर 1077 में होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में विपरित निर्णय पारित हुआ। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उठाए जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज़ किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार " 11. Res judicata. No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court. जहां तक रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न है, तो उसके लिए विधि में जो परिस्थितियां विद्यमान है, उसके अनुसार उपरोक्त धारा के बारे में सीधे अर्थो में यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा, जिसमें वाद पद में वह विषय उन्ही पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा कोई उसी हक के अन्तर्गत उसी विषयक बाबत दावा प्रस्तुत करता है, तब ऐसे पश्चातवर्ती वाद में जो विवाद बिन्दु उठाया गया है और न्यायालय विचारण में सक्षम है, उस विवाद बिन्दु बाबत पूर्व वाद में प्रत्यक्ष व सरवान बिन्दु बाबत सुना जा चुका हो तथा अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका हो, तो ऐसे पश्चातवर्ती वादों का विचारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के तहत पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विचारण से प्रवरित करता हैं। सीधे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि उन्ही पक्षकारों के बीच किसी विवाद विषय वस्तु का कोई निष्पादन योग्य निर्णय हो जाने के बाद उन्ही पक्षकारों के बीच उसी विवाद बाबत नये वाद के विचारण को रोकना हैं। हस्तगत प्रकरण में जिस पूर्व वाद के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, वह स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित था एवं जैर अपील विवादित प्रकरण में स्थायी निषेधाज्ञा के साथ ही राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया था, जो तथ्य पूर्व वाद में किसी भी रूप में परीक्षित अथवा विवेचित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (एस.सी.) 1998 (2) पेज 353 में यह अभिनिर्धारित किया कि " .....2, स्पष्टीकरण टप्प् सीमित क्षेत्राधिकार – पहले वाद में उन्ही पक्षकरों के बीच निर्णय – अगले वाद में बंधनकारी होगा, यदि पश्चातवर्ती वाद में उठाए गए मुद्दे स्पष्टतः एवं सारतः वही हो –पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।" इसके अतिरिक्त डब्ल्यू0एल0एन0 2017 (1) पेज 387 के पैरा संख्या 4 में यह अभिनिर्धारित किया कि "This Court on consideration of the entire material and

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

perusal of the impugned order in the light of aforesaid contentions finds that suit for eviction from the land in dispute was filed by Kesra, father of petitioner. The appeal filed there against was also dismissed by the Revenue Appellate Authority and thereafter by the Revenue Board. That suit pertains to compliance of Section 183, whereas the present suit, out of which this writ petition arises was filed by the plaintiff for correction of entries and declaration asserting that they are in possession of the land in question. The relief in both the suits were different, besides there was an addition of party, inasmuch as two suits were filed for different purpose and, therefore, it cannot be said that the question of law and facts involved in earlier and subsequent suits were same. It also cannot be said that the dispute was between the same parties. The defendant Gayatri Bai was not a party to the earlier suit. In any case, the impugned orders cannot be faulted because the principles of res judicata would not be attracte" चूंकि प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन बिन्दुओं को पूर्व में निर्धारित करना मानते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, उन बिन्दुओं से पृथक तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति दर्शित करते हुए राजस्व लोक अदालत के तहत निर्णीत किया हैं। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2014 किशनलाल उर्फ किशोर बनाम राजस्थान सरकार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए साक्ष्य, सबूतों के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के तहत तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7-2-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली